

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक... 50/आवंटन /

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 23/2018

पटना, दिनांक... 19.12.18

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-


मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग सं०-23, उपशीर्ष-0142-प्रोजेक्ट एवं फिजीविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य, विपत्र कोड 23-2852801020142 के विषय शीर्ष-0142.28.03-कन्सलटेंसी मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के परिसर में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत क्राफ्ट केन्द्र के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण Nomination के आधार पर इंटेक (INTACH), नई दिल्ली से कराने एवं पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में इंटेक (INTACH) से Negotiated दर रू० 43.64683 (तेतालीस लाख चौसठ हजार छः सां तेरासी रुपये) मात्र की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रू० 43.64683 (तेतालीस लाख चौसठ हजार छः सौ तेरासी रुपये) का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग सं०-23, उपशीर्ष-0142-प्रोजेक्ट एवं फिजीविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य, विपत्र कोड 23-2852801020142, के विषय शीर्ष-0142.28.03-कन्सलटेंसी मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा।
- यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक 4604 दिनांक 18.12.2018 के आलोक में दिया जा रहा है। इसके सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-  
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।  
(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।  
(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।  
(घ) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।
- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक...50/310/

पटना, दिनांक...19.12.18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

ज्ञापांक...50/310/

पटना, दिनांक...19-12-18

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय एवं आईटीमैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।